......./ ....2025 ...(ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

दावा - 53,188 RVA

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/1/26	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य.......... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 4/2/26 को पेश हो। (रीडर)	
4/2/26	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य.......... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 11/2/26 को पेश हो। (रीडर)	
11/2/26	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य.......... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 16/2/26 को पेश हो। (रीडर)	
16/2/26	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य.......... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 5/3/26 को पेश हो। (रीडर)	
5/3/26	पत्रावली आज पेश हुई वादीया स्वयं उपस्थित। वादीया ने कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया एवं कोई आपत्ति पेश नहीं की बल्कि तहसील [illegible] कुर्रजात रिपोर्ट अंतिमिका पर हस्ताक्षर किये। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट पर वादीया ने कोई आपत्ति पेश नहीं की एवं कुर्रजात रिपोर्ट से सहमत है। अतः दावा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय प्रथक से लिखाया [illegible] गया व शामिल मिसल किया गया। जारी [illegible] बाद तकमील पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। कलक्टर	मनमर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर, राज0

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :- 129 / 2025

उनवान

1. मनभर देवी पत्नी टोडरमल, जाति बलाई, उम्र 45 वर्ष, निवासी अमरसर, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर, राज0।

– वादीया

बनाम

1. गीता देवी पत्नी सुवालाल, उम्र 60 वर्ष, जाति बलाई, निवासी–ग्राम किशोरपुरा, तहसील–नीमकाथाना, जिला–सीकर, राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 5/3/2026

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खाता संख्या 34 के हाल ख़सरा नंबर 1016 रकबा 0.7000 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.7000 है0 वाकै ग्राम ठानों का बास, पटवार हल्का अमरसर, भू0अ0नि0 अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज0 में स्थित है। वर्तमान में खातेदारी भूमि में वादिया का हिस्सा 67/70 व प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा 3/70 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसकी नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 संलग्न वाद पत्र है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने–अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 मनबंट बंटवारे के आधार पर अपने अपने हिस्से अनुसार व मौका स्थिति पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य वाद पत्र के जिमन न0–1 में वर्णित आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है किन्तु अब प्रतिवादी सं0–1 के मन में दुर्भावना आ गयी है और उन्होने वादीया के खिलाफ एक नाजायज सगठन बना लिया है तथा वह वादीया को उनके अपने हिस्से में आयी भूमि के कब्जे व काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने लग गये है एवं आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बटवारा कराये ही वाद पत्र के जिमन न0–1 में वर्णित आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करने पर आमादा है तथा आराजी मुतनाजा को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है। यह कि आज से सप्ताह भर पूर्व प्रतिवादी स0–1 आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर जबरन कब्जा करने व किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उपरोक्त वर्णित भूमि के विशिष्ठ भू भाग पर जबरन कब्जा करने की वादीया को धमकी दी गई। वादीया ने उन्हे ऐसा करने से मना किया और वादीया ने प्रतिवादी सं0–1 को वादग्रस्त आराजी का मनबट बटवारे व मौके पर कब्जे के आधार पर कानूनी बंटवारा कराने को कहा तो उन्होने आराजी का कानूनी बंटवारा कराने से मना कर दिया तथा प्रतिवादी स0–1 ने वादीया को एलानियां धमकी दी है कि वे वाद पत्र के जिमन न0–1 में वर्णित आराजी का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी के विशिष्ट भू भाग पर जबरन कब्जा करेगें तथा आराजी मुतजाना के विशिष्ट भू भाग का बेचान किसी अजनबी व्यक्ति को कर उसके पक्ष में आराजी के विशिष्ट भू भाग का अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर वादीया को उसके हक हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करेगे तथा पुख्ता निर्माण कार्य करके रहेगे तथा आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी व्यक्ति का कब्जा करवाकर रहेगे। प्रतिवादी सं0–1 अपने अवैध मन्सूबे में सफल हो गया और उन्होने वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा कर लिया या आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर जबरन अजनबी व्यक्ति का आराजी के विशिष्ट भू भाग पर कब्जा करवा देगे तो इससे वादीया के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा जिससे वादीया को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रुप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक रूप में मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण वादीया को प्रतिवादी के विरुद्ध उक्त वाद आराजी के बंटवारे का एवं स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि आराजी हाल खाता संख्या 34 के हाल खसरा नं0 1016 रकबा 0.7000, है० कुल किता–01 कुल रकबा 0.7000 हैक्टयर वाकै ग्राम पठानों का बास, पटवार हल्का अमरसर, भू.अभि.नि. अमरसर, तह० शाहपुरा जिला जयपुर राज० मे भूमि का वादीया एवं प्रतिवादी सं0–1 के मध्य अपने अपने हिस्से के अनसार व मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा वादीया को उसके बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा करवाया जावे। प्रतिवादी सं0–1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीया के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नहीं करे आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू भाग पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे।

सहायक कलक्टर
(जिला–जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है। यह कि आज से सप्ताह भर पूर्व प्रतिवादी सं0–1 आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर जबरन कब्जा करने व किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उपरोक्त वर्णित भूमि के विशिष्ट भू भाग पर जबरन कब्जा करने की वादीया को धमकी दी गई। वादीया ने उन्हे ऐसा करने से मना किया और वादीया ने प्रतिवादी सं0–1 को वादग्रस्त आराजी का मनबट बटवारे व मौके पर कब्जे के आधार पर कानूनी बंटवारा कराने को कहा तो उन्होने आराजी का कानूनी बंटवारा कराने से मना कर दिया तथा प्रतिवादी स0–1 ने वादीया को एलानियां धमकी दी है कि वे वाद पत्र के जिमन न0–1 में वर्णित आराजी का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी के विशिष्ट भू भाग पर जबरन कब्जा करेगें तथा आराजी मुतजाना के विशिष्ट भू भाग का बेचान किसी अजनबी व्यक्ति को कर उसके पक्ष में आराजी के विशिष्ट भू भाग का अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर वादीया को उसके हक हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करेगे तथा पुख्ता निर्माण कार्य करके रहेगे तथा आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी व्यक्ति का कब्जा करवाकर रहेगे। प्रतिवादी सं0–1 अपने अवैध मन्सूबे में सफल हो गया और उन्होने वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा कर लिया या आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर जबरन अजनबी व्यक्ति का आराजी के विशिष्ट भू भाग पर कब्जा करवा देगे तो इससे वादीया के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा जिससे वादीया को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रुप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक रूप में मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण वादीया को प्रतिवादी के विरुद्ध उक्त वाद आराजी के बंटवारे का एवं स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि आराजी हाल खाता संख्या 34 के हाल खसरा नं0 1016 रकबा 0.7000, है० कुल किता–01 कुल रकबा 0.7000 हैक्टयर वाकै ग्राम पठानों का बास, पटवार हल्का अमरसर, भू.अभि.नि. अमरसर, तह० शाहपुरा जिला जयपुर राज० मे भूमि का वादीया एवं प्रतिवादी सं0–1 के मध्य अपने अपने हिस्से के अनसार व मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा वादीया को उसके बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा करवाया जावे। प्रतिवादी सं0–1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीया के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नहीं करे आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू भाग पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे।

सहायक कलक्टर
(जिला–जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण की तामील अपेक्षित रजिस्टर्ड डाक द्वारा पेश की गई एवं प्रतिवादीगण को उपस्थित होने हेतु न्यायहित में अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 10.11.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत दावा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का होने से दावा दिनांक 10.11.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक / भू0अ0 / 2026 / 216 दिनांक 15.01.2026 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील वादी / वादीया ने प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति जाहिर करते हुए एवं कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी / वादीया को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील वादी / वादीया प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमत है एवं वकील वादी / वादीया द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतित होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं आराजी हाल खाता संख्या 34 के हाल खसरा नं0 1016 रकबा 0.7000, है० कुल किता–01 कुल रकबा 0.7000 हैक्टयर वाकै ग्राम पठानों का बास, पटवार हल्का अमरसर, भू.अभि.नि. अमरसर, तह० शाहपुरा जिला जयपुर राज० की भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :–

1. मनभर देवी पत्नी टोडरमल हि0 पूर्ण जाति बलाई सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी 1016/3 रकबा 0.67 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.67 है0 भूमि रहेगी।
2. गीता देवी पत्नी सूवालाल हि0 पूर्ण जाति बलाई सा0 किशोरपुरा तहसील निमकाथाना (सीकर) खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1016/2 रकबा 0.03 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.03 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
(जिला–जयपुर) राज.

को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 5/3/2026 को सरै इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर, **R.A.S**)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.